

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 303]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 नवम्बर 2025—कार्तिक 15, शक 1947

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

क्र. File 3-3-4-0003-2024-Sec-1-पैंतीस(ANH) .—भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अंतर्गत धारा 32(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत राज्य शासन, एतद्वारा, राज्य पशु चिकित्सा परिषद् हेतु निम्नलिखित को पदेन सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता है :—

1. धारा 32(1) उपधारा 1(b) के अंतर्गत डॉ. मनदीप शर्मा, कुलपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश.
2. धारा 32(1) उपधारा 1(d) के अंतर्गत डॉ. पी. एस. पटेल, संचालक, पशुपालन एवं डेयरी, मध्यप्रदेश, भोपाल.

No. File 3-3-4-0003-2024-Sec-1-XXXV-(ANH).—In exercise of powers conferred by Rule 32(1) of Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Government of Madhya Pradesh, hereby, nominate the following members for the Madhya Pradesh State Veterinary Council :—

1. In the Rule 32 clause 1 sub clause b-Dr. Mandeep Sharma, Vice chancellor, Nanaji Deshmukh Veterinary Science University, Jabalpur (M.P.).
2. In the Rule 32 clause 1 sub clause d-Dr. P. S. Patel, Director, Animal Husbandary and Dairy Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमाकान्त उमराव, प्रमुख सचिव.